उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग
80 वसन्त विहार, फेज़–1, देहरादून

अधिसूचना
दिनांक 27.11.2006

संख्या एफ 9 (6)/आरजी/यूईआरसी/2006/647 उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (2003 का अधिनियम 36) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् एतद्द्वारा उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (वितरण दर अवधारण हेतु निबन्धन व शर्तें) विनियम, 2004, जो पत्रांक संख्या एफ 9 (6)/आरजी/यूईआरसी/2004/362 दिनांक 15 जून 2004 द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ–

(1) ये विनियम उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (वितरण दर अवधारण हेतु निबन्धन व शर्तें)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2006 कहलाएँगे।

(2) ये विनियम सरकारी गज़ट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 20 में संशोधन –

वर्तमान विनियम के अंतिम वाक्य के पश्चात् निम्नलिखित डाला गया है, अर्थात्

''परन्तु यह कि अन्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए किसी उपभोक्ता श्रेणी के लिए दर इस प्रकार विकसित की जा सकती है जिससे इसमें बाजार की वर्तमान स्थितियाँ उपयुक्त रूप से परिलक्षित हों।''

आयोग की आज्ञा से

(आनन्द कुमार)
सचिव

ये विनियम अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तर हैं। किसी भी तरह के निर्वचन(व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अंतिम मान्य होंगे।